भारतीय बैंक संघ

प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय बैंक संघ

सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी भ्रामक रिपोर्टें आ रही हैं कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और उनका अस्तित्व खतरे में है. यह दुष्प्रचार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा त्वरित सुधार कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क लागू किए जाने के उपरांत किया जा रहा है.

आईबीए द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ये अफवाहें बे-बुनियाद हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में त्वरित सुधार कार्रवाई आरंभ की है, जिनमें पूंजी और आस्ति गुणवत्ता (असेट क्वालिटी) संबंधी निर्धारित सीमा संबंधी नियामकों का उल्लंघन हुआ है. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू पीसीए वर्ष 2002 से अस्तित्व में है. पीसीए के अंतर्गत उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों से इन बैंकों के समग्र कार्य-निष्पादन में बेहतरी होगी. आईबीए आम जनता तथा जमाकर्ताओं को आश्वस्त करता है कि भयभीत अथवा आतंकित होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उनका पैसा सुरक्षित है. अत: वे किसी भी तरह के दुष्प्रचार का शिकार न बनें.

इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु आम जनता तथा जमाकर्ताओं का ध्यान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 5 जून, 2017 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में दिए गए स्पष्टीकरण की ओर आकर्षित किया जाता है.

अध्यक्ष
भारतीय बैंक संघ